**संख्या – 023/वीजीएल/121-**
**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**

**सतर्कता भवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,**
**ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023**
**दिनांक 19.02.2024**

**परिपत्र संख्या 04/02/2024**

**विषय: सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने के स्तर में एकरूपता के संबंध में।**

संदर्भ:- (i) आयोग का दिनांक 23.05.2000 का परिपत्र सं-000/वीजीएल/18
(ii) आयोग का दिनांक 18.01.2016 का परिपत्र सं- 02/01/16
(iii) आयोग का दिनांक 14.12.2020 का परिपत्र सं- 18/12/20
(iv) आयोग का दिनांक 03.12.2021 का परिपत्र सं- 21/12/21

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता संबंधी मामलों में कार्रवाई के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2. यह देखा गया है कि ऐसे अवसर आए हैं जब सतर्कता मामलों की कार्रवाई में अनावश्यक विलंब हुआ है। इस तरह के विलंब का एक कारण यह पाया गया है कि सतर्कता मामलों की जाँच/प्रक्रिया का स्तर आवश्यक स्तर से अधिक है। सतर्कता मामलों पर कार्रवाई के स्तर में भी विभिन्न संगठनों में एकरूपता का अभाव है।

3. यह नोट किया जाए है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने दिनांक 12.03.2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 30011/12/2015-ओ एंड एम-पीटी.I (6452) द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं कि "each ministry/department shall review the instructions on levels of disposal and channels of submission keeping in view that the number of levels shall not exceed four by delegating powers to lower formation".

4. आयोग का यह मानना है कि सतर्कता मामलों में विलंब से बचने के लिए संबंधित संगठनों को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के स्तर की समीक्षा करनी चाहिए और अधिकतम चार स्तरों तक लाना चाहिए। संबंधित संगठन के पदानुक्रम में चार स्तरों की सीमा प्रत्येक प्रशासनिक इकाई पर अलग से लागू होगी। इस संबंध में, प्रत्येक संगठन निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं :

i) प्रबंधन के अनावश्यक स्तरों को समाप्त करना (डिलेयरिंग)।
ii) सतर्कता विंग में डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना।
iii) स्तरों के विलय सहित निर्णय लेने के लिए चार चरणों/परतों तक सीमित रहना सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ भी संभव हो (उचित अनुमोदन के साथ) शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन हेतु नोट किया जाए। संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी इन दिशानिर्देशों को अपने संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में लाएं।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
(ii) सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों /सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।
(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट।